फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री पन्ना लाल सालवी निवासी पुरानी तहसील के पास, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 86/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.10..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से जरिये पत्र क्रमांक :— सू.अ.अ.2005/2025/486 दिनांक 07.10.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री पन्नालाल सालवी निवासी पुरानी तहसील के पास, रेलमगरा जिला राजसमन्द को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवाईज वांछित सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 में चाही गई वांछित सूचना संलग्न है। तथा बिन्दु संख्या 4 के संबंध में उक्त प्रकरण को निष्पादित करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है व प्रारंभिक डिक्री जारी की जा चुकी है। किन्तु तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भवन निर्माण व व्यवसायिक उपयोग होने व कुछ पक्षकारो की मृत्यु होने व उनके वारीसान रिकॉर्ड पर आने से उक्त पीडी की पालना संभव नही हो पा रही है। अतः अग्रीम कार्यवाही नियमानुसार वाद प्रकरण संख्या 162/15 में बाद सुनवाई की जावेगी, बिन्दु संख्या 5 के संबंध में वांछित सूचना कार्यालय से संबंधित नहीं है, बिन्दु संख्या 7 के संबंध में इस प्रकार की कोई अनुमति इस कार्यालय से जारी नही की गई है। अतः बिन्दुवार सूचना श्रीमान की सेवा आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है कृपया प्रकरण का निस्तारण करते हुये अपील खारिज करवाने का श्रम करावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 की सूचना जवाब के साथ इस न्यायालय	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को भिजवायी गयी है। एवं बिन्दु संख्या 4, 5 व 7 के संबंध वांछित सूचना बाबत् अवगत कराया गया। किन्तु यह सभी वांछित सूचनाएं अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई।

अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संलग्न सूचनाएं एवं वांछित सूचना के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट को नियमानुसार अपीलार्थी के ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर अपलोड करे या अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवा कर रिपोर्ट से इस न्यायालय में 01 माह में प्रस्तुत करें। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)